न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2025/143

सिविल प्रकरण संख्याः– 24/2025 तारीख रजू 22.05.2025

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

...........आवेदक

बनाम

1. रामावतार गुप्ता पुत्र सूरज मल गुप्ता (विक्रेता) मैसर्स अग्रवाल सोहन पपडी एवं नमकीन प्लाट नं. 6 एच, राजनगर कॉलोनी सवाई माधोपुर 322001।
2. लक्ष्मी देवी पत्नी रामावतार गुप्ता (प्रोपराईटर) मैसर्स अग्रवाल सोहन पपडी एवं नमकीन प्लाट नं. 6 एच, राजनगर कॉलोनी सवाई माधोपुर 322001।

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 06.03.26

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खादय सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 24.10.24 को 04.00 पी.एम. पर मैसर्स अग्रवाल सोहन पपडी एवं नमकीन राजनगर कॉलोनी सवाई माधोपुर पर पहुंचे वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम रामावतार गुप्ता विक्रेता होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया। तत्कालीन खादय सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में आम जनता को **सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** विक्रय हेतु रखी हुई थी। उक्त **सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने [illegible] अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी की[illegible]– रूपये विक्रेता रामावतार गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस[illegible] उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खादय सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा नियमानुसार नमूना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड क्रमांक एच 3509 के अर्न्तगत संग्रहित किया गया। उक्त लिये गये नमूने को वास्ते जांच मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को भिजवाया गया। मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4545/एक्ट/2024/4353 दिनांक 18.11.24 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** **Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है।

तत्कालीन खादय सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह का अन्य स्थान पर स्थानान्तरण हो जाने के कारण आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी वेद प्रकाश पूर्विया को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/742 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा **Sub Standard सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 व 2 की तरफ से अभियुक्त संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त संख्या 1 द्वारा प्रकरण का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** **Sub Standard** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 1 ने प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थी की फर्म से दिनांक 24.10.24 को **सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** का सेम्पल लिया गया था जो सब–स्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी द्वारा जैसे सोहन पपडी केवल त्यौहार के समय ही तैयार की जाती है। जिसमें उच्च क्वालिटी की मैदा व तेल काम में लिया जाता है। प्रार्थी गरीब एवं छोटा दुकानदार है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में आरोप स्वीकार कर भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाने का कथन करते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/4545/एक्ट/2024/4353 दिनांक 18.11.24 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** **Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में B.R. reading of extracted fat at 40.0°C results 55.7 आया है जोकि 43.7 to 52.5 होना चाहिए था। Iodine Value of extracted oil result 92.56 आया है जोकि 54 to 62 होना चाहिए था । अभियुक्तगण द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ सोहन पपडी (रिफाईण्ड पामोलीन तेल, चीनी व मेदा से निर्मित)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **06.03.26** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:58 IST
Reason: SelfAttested